

21/11/19

Handwritten signature/initials

पत्रावली पेश हुई वकील उमरपुत्रा उपस्थित
 अग्रणी के.। के द्वारा समाराप की ओर के
 जहाँ वकील सुअणु पेश किया कि वाडिया
 की मूल्य प भाद पूर्व हो चुकी है एवं तब
 समय में उसके वाडीमान पत्रावली में गठे (व्याज) के
 गरी मिले हैं अतः दावा खर्चे योग्य है।
 कि पर वकील वही द्वारा NO objection
 किया है।

अतः प्रस्तुत वाड खर्चे किया जाता है
 प्रकरण निवारित होकर फौजदारी खतम है।

Handwritten signature
 उमरपुत्रा अधिकारी
 पिडावा, जिला भास्कराबाड़

